


ACM नमूने  
फर्द अहकाम

बंशनी बनाम चंडेश्वर

56/20 हा.प.

आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	<p>वीरम पेक्ष के मा. प्रजवली वास्ते तलगी एवं बहन प्र.पत्र 022 R4 व 9 हेतु दिनांक 6/11 को पेक्ष दी</p> <p>सहायक कलक्टर आमेर म. जयपुर</p>	
6/11	<p>पत्रावली आज दिनांक 6/11 को पेश हुई। पीठासीन न अपवाद है, पत्रा नार दिनांक 22/11 को पेश हो</p>	
22/11	<p>पत्रावली प्रस्तुत/व.क.प. प्रार्थी, कर्णवली सरव्या 2/1 ता. 2/4 की तलगी पेक्ष के तथा उपपत्र प्र.पत्र 022 R4 व 9 पर बहन के प्रजवली दिनांक 11/12 को पेश दी</p> <p>सहायक कलक्टर आमेर म. जयपुर</p>	
11/12	<p>पत्रावली आज दिनांक 11/12 को को. न. वि. डिस्ट्रिक्ट ए को. जे. ए. कोलेज की जा जयपुर दिनांक 8/1/25</p>	
8/1	<p>पत्रावली प्रस्तुत/व.क.प. प्र.पत्र 022 R4 व 9 पर बहन हुनी गई। प्र.पत्र पर को. न. प्र.पत्र की है मतः प्र.पत्र 022 R4 व 9 स्वीकार कर कर्णवली 2, 4 के कारण मुकाम की तलगी पूर्ण कानी जाती है। कर्णवली 2/1 ता. 2/4, 4/1, 4/2 को पूर्व के री. स्वी. करवाई जा चुकी है मतः एक मिनट का presumption मानकर रानकी तारीख पूर्ण कानी जाती है उपपत्र की प्राथमिक डि. की पर पूरा पत्र बहन हुनी हुनी जाकर वा. प्राथमिक डि. की किया जा हुका. उपपत्र की र. प्र.पत्र पर कानून ब. 43 हुनी गई। बूक का बंद कर का है तथा प्रार्थी को के तथ्य बंद कर का सह. मानक है मतः वा. प्र.पत्र</p>	

4  
2  
हुके  
प्रार्थी  
ने  
वर्षी  
3  
2  
धर

# फर्द अहकाम

नाम न्यायालय 70m आमिर मुंजपुर बंशी बनाम पन्दाराम  
 केस संख्या 56/2000 जयपुर

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		<p>को रोकने के लिए उपर्युक्त को मौका एवं रिकॉर्ड की पवार्स्थित जगह <u>बंशी मुंजपुर</u> के निस्तारण तक / यह आज्ञा कृषि कार्य करने व सरकारी योजनाओं के लाभ लेने या छात्र नहीं होंगे।</p> <p>पत्रावली के तहत शुक्र होकर फाखिल फरार हो।</p> <p>सहायक कलक्टर                      आमिर म. जयपुर</p>